लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 5127

जिसका उत्तर बुधवार, 02 अप्रैल, 2025 को दिया जाएगा

उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियां

5127. श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर उपभोक्ता आयोगों में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मौजूद रिक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इन रिक्तियों को समयबद्ध तरीके से भरने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार उपभोक्ता आयोगों को सुदृढ़ करके उनके कामकाज में सुधार लाने पर भी विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्री बी. एल. वर्मा)

(क) से (ग) : वर्तमान में, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में सदस्यों के दो पद रिक्त हैं। राज्य और जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में मौजूदा रिक्तियों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 32 के अनुसार, यदि किसी भी समय जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य का पद रिक्त होता है, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा -

क) उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी अन्य जिला आयोग को उस जिले के संबंध में भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने; या

ख) उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी अन्य जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को उस जिला आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का निर्वहन करने का निर्देश दे सकती है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत राज्य आयोगों और जिला आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पदों को भरना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की विधि, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, इस्तीफा और पद से हटाने) नियम, 2020 के नियम 6(4) के अनुसार, नियुक्ति की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा रिक्ति उत्पन्न होने से कम से कम 6 महीने पहले शुरू की जाएगी। इसके अलावा, केन्द्र सरकार उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के मौजूदा और प्रत्याशित रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार बातचीत कर रही है।

(घ) और (ङ): राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाने के लिए, केन्द्र सरकार उपभोक्ता आयोगों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए 'उपभोक्ता आयोगों का सुदृढ़ीकरण' (एससीसी) स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि प्रत्येक उपभोक्ता आयोग में न्यूनतम स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। अब तक उपभोक्ता आयोगों की अवसंरचना के उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल ₹ 27.56 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।

****

अनुलग्नक

उपभोक्ता आयोगों में रिक्तियों के संबंध में दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5127 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य	राज्य आयोग				ज़िला आयोग			
		अध्यक्ष		सदस्य		अध्यक्ष		सदस्य	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप (यूटी)	1	1	4	0	1	0	2	2
2	आंध्र प्रदेश	1	1	4	1	17	1	34	1
3	अरुणाचल प्रदेश	1	1	2	2	25	0	50	41
4	असम	1	1	4	1	23	3	46	2
5	बिहार	1	0	4	0	38	21	76	40
6	चंडीगढ़ (यूटी)	1	0	4	1	2	0	4	1
7	छत्तीसगढ़	1	0	4	3	17	7	54	17
8	डी एंड एन हवेली और डी एंड डी (यूटी)	1	1	3	2	1	1	2	1
9	दिल्ली (यूटी)	1	0	4	1	10	1	20	4
10	गोवा	1	1	4	2	2	0	4	0
11	गुजरात	1	0	8	3	38	24	76	46
12	जम्मू एवं कश्मीर (यूटी)	1	1	4	1	10	6	20	10
13	केरल	1	0	4	3	14	5	28	26
14	लद्दाख (यूटी)	1	1	2	2	2	2	4	3
15	लक्ष्द्वीप (यूटी)	1	0	4	0	1	0	2	0
16	हरियाणा	1	0	4	0	22	2	44	6
17	हिमाचल प्रदेश	1	0	2	2	4	0	24	17
18	झारखंड	1	1	4	3	24	6	48	13
19	कर्नाटक	1	1	8	7	33	14	66	12
20	मध्य प्रदेश	1	1	5	3	25	5	102	32
21	महाराष्ट्र	1	0	11	4	40	10	80	24
22	मणिपुर	1	1	4	1	3	0	6	6
23	मेघालय	1	0	4	2	7	0	14	1
24	मिजोरम	1	1	4	2	11	0	22	4
25	नागालैंड	1	0	2	1	16	0	32	10
26	ओडिशा	1	1	4	0	31	17	62	44
27	पुडुचेरी (यूटी)	1	1	4	2	1	0	2	0
28	पंजाब	1	0	4	1	23	5	46	14
29	राजस्थान	1	0	10	3	37	11	74	42
30	सिक्किम	1	1	4	2	6	0	12	6
31	तमिलनाडु	1	0	4	4	30	3	64	16
32	तेलंगाना	1	1	4	0	12	3	24	3
33	त्रिपुरा	1	0	2	0	4	1	8	0
34	उत्तराखंड	1	1	4	1	13	9	26	1
35	उत्तर प्रदेश	1	0	4	1	79	35	158	77
36	पश्चिम बंगाल	1	0	10	5	26	17	52	16
	कुल	**36**	**18**	**161**	**66**	**648**	**209**	**1388**	**538**

*****